न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या : 11/89/2025 GCMS No. 2025/400

दर्ज दिनांक : 09-04-2026

निर्णय दिनांक : 13-5-2026

सहाबुद्दीन पुत्र सुल्तान, जाति मेव, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम बिदरका, तहसील किशनगढ़-बास, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—अपीलार्थी—

बनाम

तहसीलदार, किशनगढ़-बास, तहसील किशनगढ़-बास, जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

—प्रत्यर्थी—

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.09.2025

विषय : नामान्तरण संख्या 676, ग्राम बिदरका, तहसील किशनगढ़-बास के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध अपील।

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील तहसीलदार, किशनगढ़-बास द्वारा नामान्तरण संख्या 676 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि संबंधित आराजी खसरा संख्या 317, रकबा 0.2100 हैक्टेयर, ग्राम बिदरका स्थित भूमि के संबंध में उसके पक्ष में विधिवत बयनामा निष्पादित हुआ, जिसे पंजीकृत भी कराया गया, और उसी आधार पर नामान्तरण कार्यवाही प्रारम्भ हुई। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज, अभिलेखीय सामग्री तथा उसके प्रतिवाद पर समुचित विचार किए बिना आदेश पारित किया।

मैंने अपील पत्र, विवादित आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का परीक्षण किया। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी ने अपने पक्ष में पंजीकृत बयनामे का आधार लिया है और उसके आधार पर नामान्तरण कार्यवाही दर्ज हुई। नामान्तरण की कार्यवाही यद्यपि शीर्षक का अंतिम निर्णय नहीं करती, तथापि इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, पंजीयन अभिलेख तथा संबंधित पक्षकारों की आपत्तियों पर समुचित विचार किया जाना आवश्यक होता है।

विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से संतोषजनक नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रस्तुत बयनामे, पंजीकरण की स्थिति, अभिलेखीय प्रविष्टियों तथा विरोधी पक्ष की आपत्तियों का पर्याप्त और कारणयुक्त परीक्षण किया हो। आदेश में यह भी पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होता कि किन ठोस आधारों पर नामान्तरण को अस्वीकार किया गया। अर्ध-न्यायिक आदेशों का कारणयुक्त होना आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्राधिकारी ने उपलब्ध सामग्री का न्यायसंगत परीक्षण किया है।

वर्तमान प्रकरण में अपीलीय स्तर पर सीधे नामान्तरण स्वीकृत करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि नामान्तरण से संबंधित सभी पक्षकारों की स्थिति, दस्तावेजों की विधिक प्रभावशीलता, तथा राजस्व अभिलेखों की समग्र समीक्षा अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पहले की जानी अपेक्षित है। न्यायहित में अधिक उपयुक्त यह है कि विवादित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनर्विचारार्थ अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जाए, ताकि सभी संबंधित पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत बयनामे, पंजीयन अभिलेख, राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विचार करके नया कारणयुक्त आदेश पारित किया जा सके।

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज.)

क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। अतः
अपील सुनवाई हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा विवादित आदेश के परीक्षण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और प्रकरण पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

1. अपीलार्थी **सहाबुद्दीन पुत्र सुल्तान, जाति मेव, निवासी ग्राम बिदरका, तहसील किशनगढ़-बास, जिला खैरथल-तिजारा** द्वारा प्रस्तुत अपील **स्वीकार** की जाती है।
2. तहसीलदार, किशनगढ़-बास द्वारा नामान्तरण संख्या **676** के संबंध में पारित आदेश दिनांक **08.09.2025** **निरस्त** किया जाता है।
3. प्रकरण संबंधित तहसीलदार, किशनगढ़-बास को **पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित** किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत पंजीकृत बयनामे, राजस्व अभिलेख, पंजीयन अभिलेख तथा अन्य प्रासंगिक सामग्री पर विधि अनुसार विचार करके **कारणयुक्त नवीन आदेश** पारित किया जाए।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा किसी पक्ष के स्वामित्व अथवा अंतिम अधिकार का निर्णायक प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है।
5. आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित तहसीलदार, किशनगढ़-बास को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

आदेश आज दिनांक 13-5-2026 **को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)